भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 पुनरीक्षण — R. 3-II/13

1. आनंदी पुत्र मनु ढीमर
2. प्रभु पुत्र मनु ढीमर

निवासीगण ग्राम बसनेरा तहसील मोहनगढ़ जिला–टीकमगढ़

श्री एस. के. वाजपेयी द्वारा आज दि 1-1-13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. लक्ष्मण प्रसाद पुत्र बल्ले
2. रतनलाल पुत्र बल्ले
3. नर्मदा पत्नी बल्ले ढीमर

निवासीगण ग्राम बसनेरा तहसील मोहनगढ़ जिला–टीकमगढ़

9-1-2013

तहसीलदार मोहनगढ़ जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ–3/2011–12 में दिनांक 26–7–2012 को पारित आदेश एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाही के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, तहसीलदार महोदय द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित विवादित आदेश अवैध एवं विचाराधिकार शुन्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदकगण ग्राम रानीपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 600/2/1 के अभिलिखित भूमि स्वामी है यह भूमि आवेदकगण ने दिनांक 03–03–1992 को अर्जाना पुत्र भारसिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी तथा क्रय की भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया था.

3. यह कि, आवेदकगण द्वारा क्रय की भूमि में एक कुंआ स्थित है जिस पर लगे विद्युत पंप द्वारा आवेदकगण अपनी भूमि की सिंचाई करते है वर्ष 1992 के पूर्व से ही आवेदकगण की भूमि नक्शे में जिस प्रकार प्रदर्शित होती चली आ रही थी उसी प्रकार आज भी उसकी चतुर सीमाऐं यथावत है.

4. यह कि, अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष म.प्र. भूराजस्व संहिता की धारा–73 की अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वे अपनी भूमि का मौका कब्जा अनुसार नक्शे में तर्मीन कराना चाहते है तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर आवेदकगण को कार्यवाही की कोई सूचना दिये बिना एक पक्षीय रूप से आवेदन स्वीकार कर आवेदकगण की भूमि के पुराने नक्शे में परिवर्तन कर दिया परिवर्तन करने प्रतिवेदन स्वीकार किया जिससे आवेदकगण की भूमि की चतुर सीमा परिवर्तित हो जाती है तथा आवेदकगण की भूमि पर स्थित कुंआ चतुर सीमा से बाहर कर दिया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.03/दो/2013 जिला-टीकमगढ़

आनंदी आदि विरूद्ध लक्ष्मण प्रसाद एवं अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मोहनगढ़ जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 09/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 05-11-19 को कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	